



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022021-225231
CG-DL-E-17022021-225231

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 667]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 2021/माघ 28, 1942

No. 667]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 2021/MAGHA 28, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2021

का. आ. 730(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2985(अ) तारीख 26 अगस्त, 2020, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 02 सितम्बर, 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में कर्नाटक राज्य में पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हासन (कर्नाटक) से चेरलापल्ली (तेलंगाना) पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकारी का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 07/10/2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकारी का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकारी का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख के केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दूस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दूस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 के अधीन पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कोर्पोरेशन के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

तालुक : सिरा		जिला : तुमकुरु	राज्य : कर्नाटक	
क्रमांक	गाँव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल	
			एकड़	गुंटा
1	2	3	4	5
1	1. होसुरु	159/1	00	04
2		158/1	00	01
3		160	01	07
4		161	00	20
5		192	00	07
6		194	00	10
7		195/2	00	09
8		195/1	00	09
9		196/2	00	04
10		196/1बी	00	04
11		196/1ए	00	04
12		197/2	00	02
13		198/3	00	01
14		198/2	00	08
15		198/1	00	09
16		215	00	06
17		217/2	00	17
18		217/3	00	02
19		228	00	15

1	2	3	4	5
20	होसुरु (जारी...)	227	00	13
21		225/2	00	07
22		225/1	00	05
23		223/2ए	00	06
24		सर्वे नंबर 223/2ए और 38 के बीच में डामर रास्ता	00	02
25		38	00	02
26		35/2	00	11
27		35/1	00	12
28		36	00	12
29		80/2	00	01
30		80/1	00	04
31		89/1	00	08
32		89/2	00	06
33		90/2	00	01
34		88	00	11
35		87/1	00	05
36		93	00	29
37		98/4	00	01
38		98/3	00	06
39		98/2	00	11
40		98/1	00	04
41		99/2	00	03
42		122	00	34
43		126/3	00	15
44		126/2	00	12
45		127/1	00	24
46		127/2	00	21
47		128	00	33

[फा.सं.आर-12030(27)/2/2019-ओआर-1/ई-30930]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2021

S.O. 730(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2985 (E) dated the 26th August, 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 2nd September, 2020 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Petroleum Product, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 07/10/2020.

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962. According to Section 13, no suit, or other legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Taluk : Sira		District : Tumakuru	State : Karnataka	
Sl.No.	Name of the Village	Survey No.	Area	
			Acres	Guntas
1	2	3	4	5
1	1. Hosuru	159/1	00	04
2		158/1	00	01
3		160	01	07
4		161	00	20
5		192	00	07
6		194	00	10
7		195/2	00	09
8		195/1	00	09
9		196/2	00	04
10		196/1B	00	04
11		196/1A	00	04
12		197/2	00	02
13		198/3	00	01
14		198/2	00	08
15		198/1	00	09
16		215	00	06
17		217/2	00	17
18		217/3	00	02
19		228	00	15
20		227	00	13
21		225/2	00	07
22		225/1	00	05

23	Hosuru (Contd...)	223/2A	00	06
24		Asphalted road in between survey number 223/2A & 38	00	02
25		38	00	02
26		35/2	00	11
27		35/1	00	12
28		36	00	12
29		80/2	00	01
30		80/1	00	04
31		89/1	00	08
32		89/2	00	06
33		90/2	00	01
34		88	00	11
35		87/1	00	05
36		93	00	29
37		98/4	00	01
38		98/3	00	06
39		98/2	00	11
40		98/1	00	04
41		99/2	00	03
42		122	00	34
43		126/3	00	15
44		126/2	00	12
45		127/1	00	24
46		127/2	00	21
47		128	00	33

[F. No. R-12030(27)/2/2019-OR-I/E-30930]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.